न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 189 / 2023

प्रार्थी

1 गोकलाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी पुरोहितों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मेघसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी पुरोहितों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण 2 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री पन्नाराम जांगीड़, वकील प्रार्थी पक्ष।

आदेश

दिनांक 29/11/24

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार हल्का मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 503 / 465 रकबा 24.00 बीघा भूमि आई हुई है, जो भूमि प्रार्थी द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्रों के मार्फत प्राप्त की है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 से जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र से वादग्रस्त भूमि खरीद की गई थी। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 503 / 465 रकबा 24.00 बीघा की अलग से तरमीम की हुई है जो खरीद के समय ही की गई थी परन्तु लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व जमाबन्दी में पूर्णतया अन्तर व भिन्नता है प्रार्थी की मौके पर 24.00 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है राजस्व कर्मचारियों ने लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करते समय मौक व कब्जा काश्त के विपरित कर रकबे को कम कर दिया गया। प्रार्थी मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार हल्का मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 503 / 465 रकबा 24.00 बीघा भूमि में प्रार्थी की वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से दर्शाये अनुसार है। परन्तु लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके के अनुसार नहीं कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई प्रार्थी मौके पर संलग्न परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल रंग के अनुसार कब्जा काश्त है तथा परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल से अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार हल्का मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 503 / 465 रकबा 24.00 बीघा भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल से दर्शाये अनुसार दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:26:46 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024 / 1445 दिनांक 24.09.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार हल्का मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 503 / 465 रकबा 03.8850 हैक्टेयर भूमि के खातेदार प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और उतरलाई से मूढों की ढाणी मुख्यालय जाने वाली डामर सड़क पर अवस्थित है। संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार खसरा संख्या 503 / 465 की तरमीम अंक्ष राजस्व भू नक्शा व लठ्ठा ट्रेस में

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अक्ष दर्ज है। मौका जांच हेतु खातेदार प्रार्थी को मौके पर बुलाया गया पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि पूर्व में खातेदार द्वारा खसरा संख्या 503/465 की पैमाईश करवाई तब पता चला की जमाबन्दी में दर्ज रकबा (24.00 बीघा) व नक्शे में तरमीम अक्ष के सेढे अनुसार कब्जा काश्त में फर्क है तब नक्शे तरमीम दुरूस्ती हेतु उपखण्ड न्यायालय में आवेदन लाया गया। परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार मौके पर सेढे लगते है और कब्जा काश्त है व कब्जा काश्त अनुसार लगभग 24.00 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार हल्का मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 503/465 रकबा 03.8850 हैक्टेयर भूमि की तरमीम परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी को को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार हल्का मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 503/465 रकबा 03.8850 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2073–2076, नक्शों, बेचान पत्र, का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाटाडु ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका पर कब्जा के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु समस्त खातेदार द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार हल्का मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 503/465 रकबा 03.8850 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार हल्का मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 503/465 रकबा 03.8850 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान लट्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार हल्का मूढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 503/465 रकबा 03.8850 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाटाडु तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकॉर्ड में जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:26:46 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 29/11/24 को सरें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर